



Neutral Citation- 2026:AHC:29336

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-598/2026

सुरेंद्र कुमार राय और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

प्रदीप यादव

प्रतिवादीओं के अधिवक्ता:

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, नारायण सिंह,
शुक्ला, संजय कुमार ओम रामेश्वर प्रसाद

न्यायालय संख्या- 6

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,)

1. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, श्री राहुल सहाय, विद्वान अधिवक्ता जिन्हें इस न्यायालय द्वारा न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया है, उपस्थित हैं, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री एच. एन. सिंह और प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया ।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष रखे गए कार्यालय अभियंता के हस्ताक्षर के अंतर्गत प्राप्त दिनांक 23.01.2026 के निर्देश रखे, वही अभिलेख में लिया गया है।
3. इसी स्थिति से गुजरने के उपरांत श्री राहुल सहाय ने तर्क दिया कि, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यदि अपीलीय प्राधिकारी, जिसके समक्ष विलंब क्षमा आवेदन की अपील लंबित है, को सबसे पहले विलंब क्षमा आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है, तो न्याय समय सीमा अवधि में दिया जाएगा ।
4. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण अपालीय प्राधिकारी को निर्देश देते हुए किया गया है, जिसके समक्ष विलंब क्षमा आवेदन के साथ अपील लंबित है, कि वह सबसे पहले विलंब क्षमा आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय ले इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि और यदि विलंब क्षमा आवेदन की अनुमति है, अपीलीय प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपील के साथ दायर स्थगन आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय ले, किन्तु सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।
5. श्री राहुल सहाय, विद्वान अधिवक्ता की सहायता वर्तमान मामलों में सम्मिलित विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण रही है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

10 फरवरी 2026

सकलैन

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”